

फर्द अहकाम

सीताराम बनाम अर्जुन लाल वर्मा

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. ५५ / 202५...

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	16/8/24	<p>पत्रावली पेश हुई। (कुलकर्णी व कुलकर्णी फिर्मा) पूर्व दिशा की पालना में न्यायालय में अंतिम अपील दिनांक 16/8/24 दिनांक 4/10/24 को पेश हो</p> <p>उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p> <p>पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 22/11/24 को पेश हो</p>	
	22.11.24	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी एवं उनके अधिनस्थ अनुपस्थित। वादी को साच न्यायालय में प्रथम-प्रथम समय पर तीन-तीन बार भावों लगावामी शर्ती। बावजूद भावों लगावामी के उपरोक्त भी वादी के न्यायालय में हाजिर नहीं आने के कारण पत्रावली सतर्कत भरण - व निम्न - 3 जा० की के तहत अदम हाजरी व अदम पेशी में धारित नही जाती है। पत्रावली के रूप शुमार होकर नंबर ले नाम हीनर धारित दफ्तर है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>	